



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 23.02.2024

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 23.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.02.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत युवती के साथ 05 अभियुक्तों द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में पीड़िता द्वारा थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. उमेर पुत्र सलीम निवासी मौ0 शाहमुबारिक कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 68/24 धारा 376डी भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. है0का0 खालिद अखलाक थाना झिंझाना जनपद शामली।

3. कां0 अंकुर कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 1 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान, नगदी व अवैध चाकू बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.02.2024 को श्री तारिह पुत्र सुबराती निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली की परचून की दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा सामान चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैंकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये हुए सामान 01 बीड़ी का बंडल, कपड़ा धोने का साबुन, नगदी व अवैध 01 चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.अहसान पुत्र निशार निवासी मौहल्ला आँलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0स0 489/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 51/2024 धारा 380/411भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 81/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी किया हुआ सामान 01 पैकेट बीड़ी बंडल, कपड़ा धोने 02 साबुन व 100 रुपये नगदी।

2.अवैध 01 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 शाह आलम थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 अमित चौधरी थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 निशान्त कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 16600/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2000 में अभियुक्त मोहसिन अली पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम डुण्डूखेड़ा थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 644/2000 धारा 5/8 CS ACT व 11क पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.02.2024 को माननीय न्यायालय ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त को धारा 5/8 CS ACT व 11क पशु क्रूरता अधिनियम में 6600/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2005 में अभियुक्त हनीफ पुत्र मील्ला निवासी मोहल्ला इकरामपुरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 716/2005 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.02.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त को धारा 379,411 भादवि में सुनाई जेल में बिताई गई अवधि (10.09.2005 से 25.12.2005 व 16.02.2024 से 23.02.2024) तक के कारावास की सजा व 5000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2007 में अभियुक्त सुकील पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 257/2010 धारा 147,148,307,323,152,332,342 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 23.02.2024 को माननीय न्यायालय SPCL POCSO-1 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त को धारा 307/147 भादवि में 03 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 5000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 148,152,332 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व धारा 323, 342 भादवि में 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.मोहसिन अली पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम डुण्डूखेड़ा थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.हमीफ पुत्र मील्ला निवासी मोहल्ला इकरामपुरा थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.सुकील पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI